प्रेषक.

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 16 दिसम्बर, 2021**

विषय:-पंचायतों के अधिकार एवं पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रि-स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक स्थान प्राप्त हुआ एवं विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी पंचायतों को सौंपी गई है। वर्तमान में प्रदेश की सभी पंचायतें (जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत) सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल व पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अपने कार्यों व धनराशि के भुगतान को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित कर रही हैं। इससे पंचायतों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आयी है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक के साथ बी0सी0 सखी, जन सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) व महिला पुलिस बीट कर्मी को स्थान आवंटित कर जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने की नई पहल की गई है। ग्राम सचिवालय अपने आप में स्थानीय समस्याओं के निराकरण, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन व ग्राम पंचायत के निवासियों को सभी योजनाओं व लाभार्थियों की सूचना उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

2- पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की धनराशि व उससे सम्बन्धित विकास कार्य में वृद्धि, पंचायतों के कार्यो का डिजिटाइजेशन तथा अन्य विभागीय योजनाओं की धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का दायित्व बढ़ जाने के कारण ग्राम प्रधानों/प्रमुखों/जिला पंचायत अध्यक्षों की भूमिका बढ़ गई है। सम्बन्धित प्रतिनिधियों द्वारा पंचायतों में कराये जाने वाले विकास कार्यों के अनुश्रवण व क्रियान्वयन में अपना पूर्ण समय दिया जा रहा है, साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य, जिनकी संख्या पूरे प्रदेश में 7.31 लाख है को वर्तमान में किसी भी प्रकार का भत्ता अनुमन्य नहीं है। निर्वाचित पंचायत सदस्यों द्वारा बैठक में अपने रोजगार के कार्यों को छोड़कर प्रतिभाग किया जाता है। बैठकों में सदस्यों की सक्रिय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिभागिता एवं उनकी भूमिका के सम्बन्ध में प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक है कि इन्हें प्रति माह आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक हेतु ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए बैठक भत्ता की अनुमन्यता की जाए।

3- शासन में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय/बैठक भत्ता में निम्नवत् बढ़ोत्तरी की जाएगी : -

(धनराशि रू. में)

क्र0 सं0	पंचायत पदाधिकारी	वर्तमान मानदेय	प्रस्तावित मानदेय
1	ग्राम प्रधान	3,500	5,000
2	प्रमुख, क्षेत्र पंचायत	9,800	11,300
3	अध्यक्ष, जिला पंचायत	14,000	15,500
4	सदस्य, जिला पंचायत	1000 प्रति बैठक	1500 प्रति बैठक (वर्ष में 6 बैठक)
5	सदस्य, क्षेत्र पंचायत	500 प्रति बैठक	1000 प्रति बैठक (वर्ष में 6 बैठक)
6	सदस्य, ग्राम पंचायत	शून्य	100 प्रति बैठक (वर्ष में अधिकतम 12 बैठकों के लिए)

उपरोक्त मानदेय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि को केन्द्रीय वित्त आयोग की भांति प्रशासनिक एवं ओ0 एण्ड एम0 मद में अनुमन्यता के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

4- पंचायत पदाधिकारियों हेतु अनुमन्य मानदेय व सदस्यों के बैठक भत्ते के भुगतान की व्यवस्था :-

प्रदेश में राज्य वित्त की धनराशि का आवंटन पंचायतों को उनकी जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। प्रदेश में 1000 से कम आबादी वाली 250 ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें वर्ष भर में राज्य वित्त की बहुत सीमित धनराशि प्राप्त होती है। पंचायत के पदाधिकारियों (प्रधानों/प्रमुखों/जिला पंचायत अध्यक्ष/सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत) को उनके मानदेय/बैठक भत्ता का रू. 497.78 करोड़ के भुगतान हेतु धनराशि को राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि से घटाकर उनके खातों में राज्य स्तर से प्रेषित किये जाने हेतु मात्राकृत किया जाना है। तत्पश्चात समस्त पंचायतों को आवंटित धनराशि निर्धारित अनुपात (15:15:70) में विभाजित कर उनके खातों में हस्तान्तरित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- पंचायत कल्याण कोष की स्थापना-

त्रि-स्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के जनकल्याण के कार्यों का क्रियान्वयन करता है। पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में सहायता राशि हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से रू0 50 करोड़ का पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यह भी प्रस्ताव है कि पंचायतों को संक्रमित धनराशि से 50 करोड़ की लागत के रिवाल्विंग फंड की स्थापना करते हुए ही शेष धनराशि को पंचायतों को अंतरित किया जाए। पंचायत प्रतिनिधि का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं सदस्य ग्राम पंचायत से है।

कल्याण कोष में संरक्षित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार सुनिश्चित् किया जायेगा-

पंचायत प्रतिनिधि (अध्यक्ष-जिला पंचायत, प्रमुख-क्षेत्र पंचायत, प्रधान-ग्राम पंचायत, सदस्य, जिला पंचायत, सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत) की मृत्यु की दशा में-

(i). प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत को रू.10 लाख।

(ii). सदस्य, जिला पंचायत को रू. 5 लाख।

(iii). सदस्य, क्षेत्र पंचायत को रू. 3 लाख।

(iv). सदस्य, ग्राम पंचायत को रू. 2 लाख।

पंचायत कोष के गठन व संचालन पर विस्तृत गाईडलाईन निदेशालय द्वारा तैयार कर जारी की जाएगी।

6- **तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है।**

वर्तमान एवं नए प्रावधान निम्नवत् होंगे :

वर्तमान सीमा				**नए प्रावधान**		
क्र0 सं0	**कार्यों की सीमा (धनराशि)**	**वर्तमान में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी**	**वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी**	**कार्यों की सीमा (धनराशि)**	**प्रस्तावित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी**	**प्रस्तावित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी**
1	रु 2 लाख तक	ग्राम सभा	ग्राम सभा	रु 5 लाख तक	ग्राम सभा	ग्राम सभा
2	रु 2 लाख से 2,50000/-	सहायक विकास अधिकारी (पं0)	खण्ड स्तर पर नामित तकनीकी कर्मी	रु 5,00,001 से 7,50000/-	सहायक विकास अधिकारी (पं0)	खण्ड स्तर पर नामित तकनीकी कर्मी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	रु.2,50001/- से रु. 5 लाख तक	जिला पंचायत राज अधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत	रु 7,50001/- से 10 लाख तक	जिला पंचायत राज अधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत
4	5,00001 से ऊपर	जिलाधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत	10,00,001 से ऊपर	जिलाधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत

7- जिला पंचायतों के 10 लाख से ऊपर के प्राक्कलन की स्वीकृति शासन स्तर से व्यवस्था है। यह 10 लाख की सीमा जुलाई, 2015 में नियत की गयी थी। उक्त सीमा को बढ़ाकर 25 लाख किया जाना है।

8- निर्माण कार्य का प्राक्कलन एवं मापन किया जाना:-

ग्राम पंचायत स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने व तकनीकी स्वीकृति हेतु जिलाधिकारीगण द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई, मण्डी समिति, जिला पंचायत के अवर अभियन्ता को विकास खण्ड स्तर पर नामित करने की व्यवस्था है। विकास खण्ड में नामित अभियंता के अतिरिक्त पंचायतों द्वारा जनपद में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जिला पंचायत, आवास एवं विकास, सिंचाई, मण्डी परिषद, लघु सिंचाई, कृषि, जल निगम विभाग के अवर अभियंता/सहायक अभियंता से प्राक्कलन बनवाने एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

9- **उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 के नियमावली के अध्याय 8 के नियम 152 (क) व (ख) में दिये गये प्रावधान निम्नवत् है :-**

"जबकि निर्माण कार्य की लागत निर्धारित सीमा से अधिक न हो तो कोई सहायक कलाकार (टेक्निकल असिस्टेन्ट) या जिला बोर्ड के अध्यक्ष की स्वीकृति से जिला बोर्ड के इंजीनियरिंग विभाग का कर्मचारी या कोई योग्यता रखने वाला (क्वालीफाईड) ओवरसियर या कोई योग्यता रखने वाला ऐसा निजी व्यवसायी पेशा करने वाला (Private Practitioner) जिसको कि निर्धारित अधिकारी ने मान्यता दी हो तैयार कर सकता है।"

"वृहत निर्माण कार्य की दशा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्वायत्त शासन के इन्जीनियरिंग विभाग का चीफ इंजीनियर यदि वह कार्य स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माण कार्य होगा समुचित अनुभव वाला परामर्शदाता (Consulting) इंजीनियर जो सरकार द्वारा मान्य (Approved) हो।" शासकीय कर्मचारी या योग्यता रखने वाले प्राइवेट प्रैक्टिसनर/आर्किटेक्ट या समुचित अनुभव रखने वाला परामर्श दाता (Consulting) इन्जीनियर को पंचायतों में मानचित्र व तकनीकी प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुमन्य किया जाना तथा इनके द्वारा शुल्क के रुप में प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार करने हेतु प्राक्कलित लागत का नियम 162 के अन्तर्गत 2 प्रतिशत धनराशि दिये जाने की अनुमन्यता है। अत: ग्राम पंचायतों के कार्यों का प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार करने हेतु, पंचायती राज निदेशालय द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्येक जनपद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट/कन्सल्टिंग इंजीनियर नियत फीस के साथ इम्पैनल्ड किया जाएगा, जो पंचायतों के कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने व कार्यों के मापन का कार्य कर सकेंगे।

10- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त/न्याय/कार्मिक/ग्राम्य विकास/ लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/नियोजन/ग्रामीण अभियंत्रण एवं सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(8) निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(9) उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उत्तर प्रदेश।

(10) मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

(11) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(12) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

(13) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(14) समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।

(15) समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(16) समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

(17) समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(18) समस्त ग्राम पंचायत प्रधानगण एवं सचिव, उत्तर प्रदेश।

(19) पंचायती राज अनुभाग-1/2

(20) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in